(b) to (d) Does not arise.

केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता

1007. **श्री जनार्दन यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ग) क्या सरकार, केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता लाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य-सरकारें स्वयं ही अपने कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हैं और इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई भूमिका नहीं निबाहनी है। अतः केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु में एकरूपता लाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

Entry age for Government Jobs

1008. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have also enhanced the maximum entry age(s) in Government service for different categories of staff and officers in view of enhancement of retirement age from 58 to 60 years;

(b) if so, the details thereof for different categories of staff and officers separately; and

(c) if not, the reasons therefor and by when Government are likely to enhance the entry age(s) for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (c) Consequent to raising of the retirement age from 58 years to 60 years, the upper age-limit for recruitment to All India Services and various Central Services through the Civil Service Examination, 1999 has been increased by two years. Further, general orders have been notified on 21st December, 1998 providing for increase by two years in the upper age limit for recruitment through Direct Open Competitive Examination to all the Central Civil Services and Civil posts under the Central Government with effect from 1st April, 1999 vide Central Civil Services and Civil Posts (Upper Age-limit for Direct Recruitment) Rules, 1998.

Directions for C.B.I.

1009. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have directed the Central Bureau of Investigation through the Cabinet Secretary to work silently, refrain from going to the Press and be sure of its legal rights before Court going to the Court;

(b) if so, the rationale behind these directions;

(c) whether this would not be a compromise with the Government's widely advertised statement regarding the autonomous nature of this important investigation agency; and

(d) whether the morale of the officers would be affected adversely by the attitude of this kind?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE

MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise in view of (a) above.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की निजी सचिवों (प्राईवेट सेक्रेटरी) के रूप में नियुक्ति

1010. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ भ्रष्ट अभियंताओं को मंत्रियों के निजी सचिवों और निजी सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये अधिकारी वित्तीय धांधली और राबन के दोषी पाये गये हैं;

(ग) उन अभियंताओं और मंत्रियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ ये अभियंता नियुक्त हैं; और

(घ) उन्हें निजी स्टाफ में नियुक्त करने के पीछे क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) से (घ) केन्द्रीय-लोक-निर्माण-विभाग का कोई भी इंजीनियर, वर्तमान मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों की नियुक्ति, संबंधित मंत्रियों द्वारा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय को इस बारे में कोई भी संदर्भ भेजे बिना ही की जाती है। अतः यदि केन्द्रीय-लोक-निर्माण-विभाग के कोई इंजीनियर मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों के रूप में कार्य कर रहे हों तो उनके बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय विभागों में भ्रष्टाचार के मामले

1011. **श्री रामजी लाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में केन्द्रीय विभागों में "भ्रष्टाचार के हजारों मामलों" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले आठ महीनों के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कब तक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले आठ महीनों के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने 461 मामले दर्ज किए हैं जिनमें से 89 मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं। 39 मामले नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं और 5 मामले बन्द कर दिए गए हैं। शेष 328 मामले अन्वेषण हेतु लम्बित चल रहे हैं और उनके संबंध में कानून/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) भ्रष्टाचार की रोकथाम करना एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रति, सरकार ने निवारक सतर्कता, निगरानी तथा सुगारसानी और निवारक दण्डात्मक कार्रवाई संबंधी त्रि-सूत्री रणनीति अपनाई है जिसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो अपने-अपने संबंधित संगठनों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के संस्थानिक ढांचों को भी सशक्त सुदृढ़ और सुविधा-सम्पन्न बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी नागरिक सुस्थापित कानून के अनुसार, किसी लोक-सेवक द्वारा अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किए जाने और भ्रष्टाचार किए जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया को सक्रिय बनाने हेतु किसी पुलिस स्टेशन अथवा कानून की अदालत में जा सकता है।

सतर्कता आयुक्त के पद को समाप्त करना

1012. **श्री जनेश्वर मिश्र:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1999 के राष्ट्रीय सहारा में "सतर्कता आयुक्त का पद खत्म करने की तैयारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और